यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **चम्पावत** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **चम्पावत** के 02/2015 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री मनोज पाल**, लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक 21.01.2019 से 25.01.2019 तक सम्पादित की गयी।

<u>भाग-प्रथम</u>

1- परिचयात्मक-इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री अजय त्यागी एवं श्री मुकेश कुमार**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनाँक 03/02/2015 से 06/02/2015 तक सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 08/2004 से 01/2015 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/2015 से 12/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-चम्पावत

(ii)(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत्तहैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	55.76	30.19	4.47	4.03		26.01
2016-17	-	-	51.23	36.31	13.32	12.81		15.43
2017-18	-	-	47.35	47.35	24.46	23.39		1.07
2018-19 (12/2018 तक)	-	-	60.58	31.85	18.01	11.18		-

(ब)Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः- शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुये इकाई "सी"श्रेणी की है।
विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

अर्थ एवं संख्याधिकारी
अपर सांख्यिकी अधिकारी
सहायक सांख्यिकी अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **चम्पावत** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपालन को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **चम्पावत** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/18, एवं 09/18 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।
(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो-'ब'</u>

<u>प्रस्तरः1-</u> समय सीमा व्यतीत होने के उपरांत भी नवाचार निधि के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का पूर्ण न होना ₹ 19.57 लाख।

कार्यालय में 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत "जिला नवाचार निधि" के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित योजनाओं हेतु किश्तें अवमुक्त नहीं की गईः-

क्र.सं.	योजना का नाम	संस्था का नाम	लागत ₹	अवमुक्त न की गयी किश्त	अवमुक्त न की गयी किश्त की लागत ₹
1	नवोन्मुख च्युरा विकास एवं आय स्रजन	संबंध नयाल भवन आदर्श नगर, तल्ली मादली, चम्पावत	612000	3,4	183600
2	ईंट बजरी तथा सीमेंट से ट्राइल का निर्माण	रुरल environmental एंड education development society टनकपुर	407000	3,4	122100
3	जैविक सब्जी उत्पादन एवं हल्दी अदरक उत्पादन के माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण	अपार association for peoples advancement एंड action research चम्पावत	438000	4	43800
4	नवोन्मेषी कृषि प्रणाली से आय सृजन एवं महिला सशक्तिकरण	संबंध नयाल भवन आदर्श नगर, तल्ली मादली, चम्पावत	500000	4	50000
कुल			**1957000**		**399500**

उपरोक्त के पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि संबंध में मुख्यालय से पत्राचार किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कई वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी योजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका, जिससे उद्देश्यों कि पूर्ति नहीं हो सकी तथा शासकीय धन का व्यय निष्फल रहा।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः1- कार्यालय के महत्वपूर्ण पदों के रिक्त रहने के कारण आवश्यक कार्यों का प्रभावित होना।

अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय का मुख्य कार्य आकड़ों को एकत्रित करना, सर्वे करना एवं डाटा का संकलन करना इत्यादि है। इन महत्वपूर्ण कार्यों हेतु कार्यालय में सहायक सांख्यकीय अधिकारी का पद स्वीकृत है।

कार्यालय के स्वीकृत नियतन, उपलब्धता एवं रिक्तियों से संबंधी पत्रावलियों की जाँच के दौरान पाया गया कि सहायक सांख्यकीय अधिकारी के 6 स्वीकृत पदों के सापेक्ष एक भी अधिकारी की तैनाती नहीं थी। इस कारण कार्यालय में आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे थे तथा कार्यालय में अन्य कर्मियों पर कार्य भार बढ़ रहा था।

उक्त के इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि रिक्त पदों की प्रक्रिया निदेशालय द्वारा की जाती है। उत्तर से स्पष्ट है कि विभाग की उदासीनता के चलते कार्यालय के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए कोई कार्यवाही नही की गयी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**
38/2014-15	-	1,2,3,4,5	1

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
35/2014-15	भाग-2 'ब' : 1,2,3 STAN : 1,2,3	प्रस्तर चर्चा हेतु audit committee meeting में रखे गए	अंतिम परिणाम आने तक प्रस्तर यथावत रखे जाते हैं	

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **चम्पावत** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमिततायेः-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष डी.डी.ओ. का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि	
			कब से	कब तक
1	श्री जगदीश चन्द्र जोशी	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1-5-14	25-1-16
2.	श्रीविवेक कुमार उपाध्याय	अर्थ एवं संख्याधिकारी	26-1-16	25-7-16
3	श्री नन्दा बल्लभ बचखेती	अर्थ एवं संख्याधिकारी	26-7-16	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय**, **जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी**, **चम्पावत** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार सामान्य) को प्रेषित कर दी जांय। (क्षेत्र

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

सामान्य क्षेत्र